

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर**

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/582

जयपुर दिनांक :- 11/06/2021

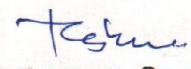
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 06 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक संपादित करेंगे :-

| क्र. सं. | लिंक नम्बर | नाम (सर्वश्री)      | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम                            | अतिरिक्त कार्य आवंटन कार्यालय का नाम                               | विशेष विवरण          |
|----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2          | 3                   | 4                                                           | 5                                                                  | 6                    |
| 1.       | 11499      | महेंद्र कुमार वर्मा | अधीक्षण अभियंता, वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी - 2990 | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बूंदी - 20360 | क.ले. के रिक्त पद पर |

विभागीय आदेश संख्या 551 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा अमरीन परवीन, कनिष्ठ लेखाकार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) समेकित बाल विकास सेवाएँ, बूंदी-22895 को अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बूंदी-20360 का दिया गया अतिरिक्त कार्यभार का आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के 35 व 50 के अनुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।

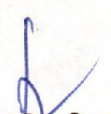
  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/582

जयपुर दिनांक :- 11/06/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी .....
3. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)